राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट–III जयपुर, दिनांक :– 16 APR 2015

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (TODAR) से प्राप्त अभ्यावेदन में अवगत कराया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित मानचित्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त प्रकरणों में भी अग्निशमन सुविधा/सुदृढ़ीकरण शुल्क वसूल किया जा रहा है तथा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय आदेश क्र. प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट–II दिनांक 04.10.2013 जारी होने की दिनांक से लागू है तथा भवन मानचित्र अनुमोदन के उन सभी प्रकरणों पर लागू है, जिनमें नगरीय निकाय द्वारा जारी मांग पत्र की राशि जमा नहीं करायी गयी है।

आदेश से यह स्पष्ट है कि संशोधित मानचित्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त प्रकरणों पर यह लागू नहीं होगा। अतः ऐसे प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय